कार्यालय मण्डलीय प्रबन्धक (संचालन)
उत्तराखण्ड परिवहन निगम कुमाऊ मण्डल काठगोदाम।

पत्रांकः– 1317 के0आर/4–भूमि भवन /रामनगर बस स्टे0/24 दिनांक 13.05.2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
रामनगर वनप्रभाग
रामनगर, नैनीताल।

विषयः– <u>रामनगर में बस पोर्ट की स्थापना हेतु भूमि हस्तानान्तरण प्रस्ताव पर लगी आपत्तियों के निस्तारण के सम्बन्ध में।</u>

महोदय,

उपरोक्त विषयक, कृपया अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, देहरादून के कार्यालय पत्रांक–2443/FP/UK/Others/145973/2021ः देहरादूनःदिनांक, 27 अप्रैल 2023 का संदर्भ लेने का कष्ट करेंगे। जिसके द्वारा प्रस्ताव पर 10 आपत्तियां लगाई गई थी।

अतः राज्य सरकार द्वारा लगाई गई आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण निम्नवत प्रेषित किया जा रहा है।

जनपद नैनीताल में रामनगर में बस पोर्ट की स्थापना/विकास कार्य हेतु रामनगर–रानीखेत मार्ग से लगी हुई अवशेष वन भूमि 0.120 हे0 वन भूमि लीज पर दिए जाने हेतु

क्रम सं0	आपत्तियों का विवरण	निराकरण
1	विषय सूची के अनुसार संलग्न प्रपत्र/प्रमाण पत्रों पृष्ठ संख्या अंकित की जानी है।	विषय सूची के अनुसार प्रपत्र/प्रमाण पत्रों सहित पृष्ठ संख्या अंकित कर संलग्न कर दी गई है।
2	प्रस्ताव में संलग्न SIR रिपोर्ट में बिन्दु संख्या–b पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है।	उक्त सूचना प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से अपेक्षित है।
3	प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण आख्या में उल्लेख किया गया है कि प्रस्तावित प्रयोजन हेतु उक्त भूमि का हस्तान्तरण उचित प्रतीत नहीं होता है, वहीं आपके द्वारा प्रस्ताव पर संस्तुति प्रदान की गई है, सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्थिति स्पष्ट की जानी है।	उक्त सूचना प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से अपेक्षित है।
4	SIR के बिन्दु संख्या–3 में उल्लेख किया गया है कि कालातीत हो चुकी है। लीज धारक द्वारा उक्त भूमि का नवीनीकरण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधानों का उल्लंघन प्रतीत होता है। विभाग द्वारा प्रभाग स्तर पर इस पर क्या कार्यवाही की गई है, इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जानी है।	उक्त सूचना प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से अपेक्षित है।
5	प्रश्नगत प्रयोजन हेतु चयनित भूमि के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी की स्थल निरीक्षण आख्या के बिन्दु 02 एवं बिन्दु सं0 4 में परस्पर विरोधाभाष है, जिसमें बिन्दु 02 में उल्लेख किया गया है कि उक्त प्रयोजन हेतु भूमि उपयुक्त नहीं है। वहीं दूसरी ओर बिन्दु सं0 4 में उल्लेख किया गया है कि उक्त प्रयोजन हेतु वन भूमि विकास कार्यों हेतु संस्तुति की जाती है। प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्थिति स्पष्ट की जानी है।	उक्त सूचना प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से अपेक्षित है।
6	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाना है कि परिवहन विभाग को पूर्व में हस्तान्तरित की गई वन भूमि में निर्गत शासनादेश में अधिरोपित सभी शर्तों का पूर्ण रूप से अनुपालन किया गया है।	उक्त सूचना प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से अपेक्षित है।

DM

कार्यालय
रामनगर वन प्रभाग
क्र० सं० 6905
पत्रांक सं० 12-1
दि० 13/6/2024

7	टोपोशीट मानचित्र पर प्रस्तावित परियोजना को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाय।	टोपोशीट मानचित्र पर प्रस्तावित परियोजना को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है।
8	प्रस्तावित स्थल कार्बेट टाईगर रिजर्व से 280 मीटर (0.28 किमी0) पर स्थित है। इस सम्बन्ध में प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालन, उत्तराखण्ड का अनापत्ति प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाना है।	प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक उत्तराखण्ड का अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त कर प्रस्ताव की पृष्ठ संख्या–50 पर संलग्न किया गया है।
9	परियोजना का मदवार विवरण प्रस्ताव में संलग्न किया जाना है।	संलग्न कर दिया गया है।
10	प्रस्ताव में लीज अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना है।	संलग्न कर दिया गया है।

संलग्न–(संलग्न प्रस्ताव 03 प्रतियां मूल में)

भवदीय

23.05.24

मण्डलीय प्रबन्धक (संचालन)
काठगोदाम।